

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

- 1- सुरेश सुमन पुत्र देवलाल जाति माली निवासी नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

प्रार्थी(वादी)

बनाम

- 1- मोहनी पुत्री गोपाल पत्नी बसन्ती लाल जी जाति माली निवासी रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा।
2- बृजमोहन आत्मज गोपाल जाति माली निवासी सोंगरिया कच्ची बस्ती स्टेशन कोटा जिला कोटा
3- ओमप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति माली निवासी नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
4- चाहन्या बाई पत्नी देवलाल जाति माली निवासी नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थी(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 188 92 ए आर.टी.एक्ट

मिसल नं 02/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जाता है।" तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 18.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा					
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय	0	0	बबत इजराय	0	0
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0